स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
ई–मेल : dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष : 0135–2608763, फैक्स : 0135–2608746

पत्र संख्या–27प/पी0पी0पी0/5/2020/ दिनांक– अक्टूबर, 2022

प्रेस विज्ञप्ति/विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 108 आपातकालीन सेवाओं के अन्तर्गत पुरानी 25 (108 एम्बुलेन्स) वाहनों को दिनांक 29.10.2022 को समय अपराहन्न 03:00 बजे नियमानुसार निष्प्रयोज्य/नीलाम किया जाना है। नीलाम किये जाने वाले वाहन निम्न प्रकार है।

क्र0स0	वाहन संख्या	पंजीकरण तिथि	वाहन द्वारा चलित कि0मी0	मूल्यांकन धनराशि
1	UKO7GA0064	08/05/2008	451236	1,80,000/–रू
2	UKO7GA0113	10/05/2008	549818	1,71,000/–रू
3	UKO7GA0137	10/08/2008	465308	1,75,000/–रू
4	UKO7GA0138	14/08/2008	451635	1,81,000/–रू
5	UKO7GA0159	25/08/2008	486137	1,72,000/–रू
6	UKO7GA0164	27/08/2008	525553	1,70,000/–रू
7	UKO7GA0205	04/11/2008	533852	1,71,000/–रू
8	UKO7GA0230	29/11/2008	542683	1,70,000/–रू
9	UKO7GA0231	29/11/2008	604537	1,71,000/–रू
10	UKO7GA0245	06/12/2008	520772	1,73,000/–रू
11	UKO7GA0249	19/12/2008	475014	1,75,000/–रू
12	UKO7GA0526	04/02/2010	563468	1,70,000/–रू
13	UKO7GA0531	04/02/2010	608483	1,70,000/–रू
14	UKO7GA0533	04/02/2010	450041	1,73,000/–रू
15	UKO7GA0535	04/02/2010	460335	1,71,000/–रू
16	UKO7GA0538	04/02/2010	592589	1,70,000/–रू
17	UKO7GA0542	04/02/2010	561368	1,71,000/–रू
18	UKO7GA0575	20/04/2010	203270	45,100/–रू
19	UKO7GA0577	20/04/2010	266819	44,500/–रू
20	UKO7GA0579	20/04/2010	199702	46,000/–रू
21	UKO7GA0581	20/04/2010	171809	45,000/–रू
22	UKO7GA0580	20/04/2010	117785	48,000/–रू
23	UKO7GA0602	19/05/2010	478004	1,71,000/–रू
24	UKO7GA0606	19/05/2010	537059	1,70,000/–रू
25	UKO7GA0635	26/05/2010	470570	1,72,000/–रू
			कुल योग	**36,75,600/–**

इच्छुक निमालीकर्ताओं द्वारा दिनांक–28/10/2022 को अपराहन्न 2:00 बजे तक 02 सील बन्द लिफाफों मे क्रमशः तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव, पी0पी0पी0 अनुभाग कक्ष संख्या–:52, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड में स्वंय/प्रतिनिधि के माध्यम उपस्थित होकर जमा कराया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त वाहनों हेतु आरक्षित न्यूनतम धनराशि से कम के वित्तीय प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा। नीलामी के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की वेबसाईट www.health.uk.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

नीलामी की निम्नलिखित शर्ते होंगीः–

1. नीलामी प्रक्रिया हेतु प्राप्त तकनीकी भाव पत्रों के प्रस्ताव कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड मे **दिनांक 28.10.2022 को अपराहन्न 03:00 बजे** खोले जायेंगें एवं तकनीकी रूप से चयनित निलामकर्ताओं को विभाग द्वारा सम्पर्क स्थापित कर अवगत करा दिया जायेगा। जिसके उपरान्त चयनित निलामीकर्ता के वित्तीय प्रस्ताव समिति द्वारा तिथि निर्धारित कर खोले जायेगें।
2. नीलामी हेतु उपलब्ध कराये जा रहे तकनीकी प्रस्ताव के लिफाफे मे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0, आयकर रिर्टन (वित्तीय वर्ष 2021–22) की सत्यापित छायाप्रति एवं धनराशि रू0 3,67,560/–की धरोहर राशि का डी0डी0/एफ0डी0आर0 मूल रूप में होना अनिवार्य है तथा तकनीकी प्रस्ताव खोले जाने की तिथि से पूर्व **दिनांक 28.10.2022** को **प्रातः 10:30 बजे से सांय 02:00** तक 02 सील बन्द लिफाफे क्रमशः तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून, के पी0पी0पी0 अनुभाग, कक्ष संख्या–52 में अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के पास स्वंय/प्रतिनिधिधि के माध्यम उपस्थित होकर जमा करना आवश्यक है। तकनीकी प्रस्तावों में जिन चयनित निलामीकर्ताओं के नाम का चयन होगा को छोड़कर शेष निलामीकर्ताओं द्वारा जमा धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।
3. तकनीकी प्रस्तावों मे जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाणपत्र की प्रति जोकि छः माह से अधिक अवधि का नही होना चाहिये, उपलब्ध होना अनिवार्य है।
4. वाहन जैसा है जहां है, जिस स्थिति में है, तथा जितनी संख्या मे है एक साथ नीलाम होगा। नीलामी से पूर्व वाहन का निरीक्षण महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित **तिथि 18.10.2022 एवं 19.10.2022 को प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे** तकं स्थान कैम्प कार्यालय 107 चन्दर नगर, देहरादून मे किया जा सकता है।
5. यदि चयनित निलामीकर्ताओं द्वारा नीलामी की धनराशि 03 दिवस के भीतर जमा नही की जाती है, तो जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, और वाहन को पुनः नीलाम करा दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित निलामकर्ता का होगा।
6. नीलामी के सम्बन्ध में सर्वाधिकार नीलामी, समिति के अध्यक्ष, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पास सुरक्षित रहेगा।
7. कुल 25 वाहन की नीलामी एक साथ होगी। बोलीदाता को एक टोकन आवश्यक प्राप्त करना होगा।
8. नीलामी से सम्बन्धित अन्य जानकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड देहरादून।